कार्यालयः प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

फोन नं0. 05463.235020, फैक्स नं0.05463.235194,
वेबसाइट.www.gmcazamgarh@gmail.com

संख्या. 1087/रा0मे0का0आ0 / छात्र अनु0 / 2025 दिनांक. 16 / 08 / 2025

सूचना

नीट यू0जी0 2025 के माध्यम से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवेश के समय प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज तथा शिक्षण शुल्क का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

16/08/25

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज
आजमगढ़

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

श्री / कु0..

....

....

....

मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ्य घोषित होने पर आपका निम्नलिखित शुल्क उसी दिन इस कार्यालय में जमा करना होगा।सभी शुल्क का भुगतान आपको बैंक ड्राफ्ट / बैंक जमा पर्ची द्वारा जमा करना आवश्यक होगा। शासनादेश संख्या– 2240 / 71–3–2010–328 / 91 दिनांक 20.09.2010 द्वारा शुल्क विवरण–

कम सं0	शुक्त विवरण	सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग
1	शिक्षण शुल्क	18000	9000
2	अन्य शुल्क	4000	4000
3	प्रवेश शुल्क	2000	2000
4	डेवलेपमेन्ट शुल्क	2000	2000
5	काशनमनी(रिफन्डेबुल)	10000	10000
6	छात्रावास शुल्क डबलसिटेड 200 / माह	2400 /	2400 /
7	विद्युत शुल्क 200 / माह	2400 /	2400 /
		40,800 /	31,800 /

प्रवेश के समय आपके हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट सर्टीफिकेट एवं समस्त परीक्षाओं के सर्टीफिकेट / अंकतालिका की मूलप्रतियों एवं उसकी एक छायाप्रति (सत्यापित) इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

Mode fo Fee Payment-

(Fee will be valid only after document verification at Admission Counter of Medical College)

1- **By Cash-** Cash deposited by candidate in bank

2- **By Demad Draft-** In favor of " Principal, Govt. Medical College, Azamgarh (U.P.)

3- **By NEFT/RTGS-**

a. A/C Name- Rajkiya Medical College, Azamgarh

b. A/C Number- 50163647289

c. IFSC Code- IDIB000G628

4- **By UPI-** 50163647289@indianbk

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय--6
प्रवेश प्रक्रिया

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश प्रकिया आवंटित कालेज में सम्पन्न करनी होगी।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय एवं अल्प–संख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–अस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के कम में, विभिन्न मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नोडल सेण्टर बनाकर निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया पूर्ण की जायेगी।

- निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश हेतु निर्धारित नोडल सेन्टर की सूची संलग्न है। **(अनुलग्नक–II)**
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही शासन द्वारा निर्धारित **शिक्षण शुल्क** की धनराशि को सी0टी0एस0 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में देय हो,** निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- अल्पसंख्यक संस्थानों/कॉलेजों में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को सम्बन्धित अल्पसंख्यक कॉलेजों/संस्थानों द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि को सी0टी0एस0 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में देय** हो, निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।
- प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों का सत्यापन आवंटित मेडिकल अथवा डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराया जायेगाः–

1- आंवटन पत्र की कापी।
2- नीट यू0जी0–2025 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
3- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
4- सामान्य निवास प्रमाण–पत्र (उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत) (यदि लागू हो तो)
5- आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र (उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत) (यदि लागू हो तो)
6- पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड/पासपोर्ट)

- प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त अभिलेख मूल रूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रकिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र/सूचना कूट रचित पायी जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये सुसंगत धाराओं के अनुसार विधि–सम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(The following Original documents and self attested photocopy to be submitted by the student)

S.No.	LIST OF DOCUMENTS	RECEIVED
01	Passport Size Photo **(5) (as posted in admit card)**	YES / NO
02	Allotment Letter & Document Verification & Fee Slip (Only for UP Counseling)	YES / NO
03	Admit Card of NEET-2025	YES / NO
04	Rank Letter/Result Card-2025	YES / NO
05	High School mark sheet & Certificate	YES / NO
06	Intermediate mark sheet & Certificate	YES / NO
07	Graduation Degree/Mark sheet & other Certificates **(Optional)**	YES / NO
08	U.P. Domicile **(Optional)**	YES / NO
09	Category& Sub- Category Certificates **(OBC & EWS Certificate Issuing on or after Date 01-04-2025)**	YES / NO
10	If required then Reservation certificate on format given in information brochure(OBC/SC/ST/EWS)	YES / NO
11	If required then Other Reservation certificate on format given in information brochure(NCC/PH/FF/EA)	YES / NO
12	Transfer Certificate & Migration **(Optional)**	YES / NO
13	Aadhar Card copy	YES / NO
14	Hepatitis B Vaccination Certificate	YES / NO
15	4 Affidavit (Service bond (Rs. 100 non judicial stamp paper), Gap Affidavit(Rs. 10 non judicial stamp paper). Anti-Ragging By Student & Father(Rs. 10 non judicial stamp paper)	YES / NO
16	Five envelope with postal address & stamp of Rs. 27/- on each	YES / NO
17	Fee Structure (General Candidate Rs. 40800/- and OBC/SC/ST Candidate Rs. 31800)	YES / NO

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AE 379837

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम–2013

छात्र का आश्वासन

1. मैं .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती/ ....
अनुक्रमांक .... मेरिट ....) जिसे ओ०एम०सी० आजमगढ़ .... (नीट यू०जी०– 2024
दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में 2009 के जोखिम पर नियंत्रण सम्बन्धी यू०जी०सी० विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो .... (संस्था का नाम) में प्रवेश
इसके आगे से विनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।

2. मैंने विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें सम्मिलित हैं।

3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाही के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरूद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।

4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि –

(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना जा सकता है।

(ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके षड्यन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

5. मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरूद्ध की जा सकती है।

6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने मुझे रैगिंग के षड्यंत्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए न तो निष्कासित किया है न ही प्रवेश से वंचित किया है और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

घोषित किया गया .... दिन .... माह .... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें छिपाई कोई भी बात न तो छिपाई गई और न ही अयथार्थ कही गयी है।

सत्यापित (स्थान) .... दिन .... माह .... वर्ष ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83AE 379836

NOTARY NOTARIAL NOTARIAL GOVT. OF INDIA

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम–2013

<u>माता–पिता/अभिभावक द्वारा दी गयी प्रतिबद्धता</u>

1.मैं ____________ माता–पिता/अभिभावक ____________ (नीट यू०जी०–20. अनुक्रमांक ____________ मेरिट ________). जिसके पुत्र/पुत्री को जी०एम०सी० आजमगढ़ (संस्था का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में 2009 में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण लगाने से सम्बद्ध यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।

2.मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।

3.मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाता/जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षड्यन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरूद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।

4.मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि –

(क.) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग माना गया है।

(ख.) मेरी संतान जानबूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

5.एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमो की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरूद्ध किसी भी दण्ड सम्बन्धी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।

6.एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने की अथवा षड्यंत्र का एक हिस्से के रूप में दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया ________ दिन ________ माह ________ वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

दूरभाष सं./मो.नं.

<u>सत्यापन</u>

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नही है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयथार्थ कही गयी है।

सत्यापित (स्थान) ________ दिन ________ माह________ वर्ष ________

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये — भारत — TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83AE 233382

मैं [illegible] माता–पिता/अभिभावक [illegible] (नीट यू0जी0/पी0जी0–2024 अनुक्रमांक– [illegible] मेरिट– [illegible]) शपथपूर्वक घोषणा करती/करता हूँ कि–

1. हाईस्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार मेरी जन्म तिथि– [illegible] है।
2. मैंने वर्ष–2021 मे इंण्टर मीडिएट परीक्षा सी0बी0एस0ई0 (बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम) उत्तीर्ण की है।
3. अन्य ....
4. उक्त के पश्चात् अब तक मैं प्रतियोगी परीक्षा(नीट)की तैयारी कर रहा था।
5. उक्त के अतिरिक्त मैंने किसी भी कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है।

मेरे द्वारा की गयी उक्त घोषणाएं प्रवेश के समय प्रस्तुत समस्त अभिलेख एवं सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं।

नाम– [illegible] शपथकर्ता के हस्ताक्षर

पता– [illegible]

दूरभाष नं0/मो0नं0– [illegible]

अध्याय--8

अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड

- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–950/71–2–82/2017 दिनांक 07.03.2018 यथा संशोधित में प्रदान निर्देशो के क्रम में राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा, जो निम्नानुसार है:–

क्र0	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रम	02 वर्ष	रू0 10.00 लाख	"यथासम्भव/यथावश्यकता महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।"

डिबारमेन्टः–

- शासनादेश संख्या– I/676928/2024 दिनांक 26 जून 2024 के क्रम में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से Debar कर दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नक: VI

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO

------------------------------ COURSE ------------------------ SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT ----------------------- ON THIS DAY OF ---------------------------

BETWEEN

NAME ---
S/O, D/O, W/O ---
RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS) ---
(TEMPORARY ADDRESS) :---
MOBILE NO.: --
E-Mail id.: ---
AADHAR No.: --
Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEAREAS FIRST PARTY has applied for admission to --------------- course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than two year after successful completion of the ----------------course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of two year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs. 10 Lacs for Degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the ------------ course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the ----------- course his/her certificates relating to ---------------- course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of two year or pay to the Government on demand the sum of Rs.-------------- (Rupees ------------------------------) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period 'of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY ---------------- employed as --------------- granted stipend to him/her for a period of 24 months effect from -----------in order to enable his/her to study at ------------------------------- college.

AND WHERE AS if the FIRST PARTY -- work s for a period of less than 24 months during the ------------------------------ Super specialty course DM/MCH/--------------- Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate amount will be

Scanned with OKEN Scanner

treated as stipend and the FIRST PARTY -- shall pay back in addition to the security amount of Rs.................................(Rupees------------------ -------------only) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS: -

1. The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of two year on successful completion of the ------------------- Super specialty course DM/MCH/Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs. -----------------(Rupees ---------------------------only) to the Government in the specified Government Treasury.
2. The FIRST PARTY Agrees that till the successful completion of the period of two year service to the Government or till the payment of Rs. ------------------------ (Rupees -------- -------------------) only is paid the certificates relating to ----------------- Super specialty course DM/MCH/---------------Post Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution/University/College and the Government has a First lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
3. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/discharged.
4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
6. The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of
FIRST PARTY
(   )

For and behalf of
Governor
(   )

Witnesses : -

Scanned with OKEN Scanner